न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सीता शर्मा, आर.ए.एस.

GCMS No. 2022/104

प्रकरण सं. : 336 दायर दिनांक : 07.12.2022

पालसिंह पुत्र मिन्दोबाई पुत्री सरदारसिंह पत्नी बख्तावरसिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला हाल मलोट तहसील मलोट जिला फाजिल्का (पंजाब) –वादी

बनाम

1. कश्मीरसिंह पुत्र सरदारसिंह (फौत) जरिये वारिसान :–
   - 1/1. मलकीत कौर पत्नी कश्मीरसिंह
   - 1/2. मखनसिंह पुत्र कश्मीरसिंह
   - 1/3. प्रेमसिंह पुत्र कश्मीरसिंह
   - 1/4. सिलो पुत्री कश्मीरसिंह
   - 1/5. जयमलसिंह पुत्र कश्मीरसिंह

   } अकवाम रायसिख निवासीयान वार्ड नं. 22 पंचायत समिति के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. कौराबाई पुत्री सरदारसिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. बलवीरसिंह पुत्र सरदारसिंह (लावल्द फौत)
4. मायाबाई पुत्री सरदारसिंह पत्नी जंगीरसिंह (फौत) जरिये वारिसान :–
   - 4/1. गुरदीपसिंह पुत्र मायाबाई पत्नी जंगीरसिंह
   - 4/2. सरजीतसिंह पुत्र मायाबाई पत्नी जंगीरसिंह
   - 4/3. ओमप्रकाश पुत्र मायाबाई पत्नी जंगीरसिंह

   } अकवाम रायसिख निवासीयान मलोट तहसील मलोट
5. मिन्दोबाई पुत्री सरदारसिंह पत्नी बख्तावरसिंह (फौत) जरिये वारिसान :–
   - 5/1. करतारसिंह पुत्र मिन्दोबाई (फौत) जरिये वारिस :–
     - 5/1/1. छिन्द्रपाल कौर पत्नी करतारसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. ..., टिब्बा कॉलोनी, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
   - 5/2. पूर्णसिंह पुत्र मिन्दोबाई
   - 5/3. दीपोबाई पुत्री मिन्दोबाई

   } अकवाम रायसिख निवासीयान 1 आर.बी.एम. तहसील श्रीविजयनगर
6. सन्दीपसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी जैसाभट्टी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.29 18:36:20 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादीगण

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री राम प्रताप तिवाड़ी, अभिभाषक वादी
2. श्री कमल शर्मा, अभिभाषक प्रति.सं. 1/1 से 1/5, 2, 4/2, 4/3, 5/1/1, 5/2 व 5/3
3. पैरोकार राज

निर्णय दिनांक : 29.05.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि संयुक्त खाता में वाके चक 2 जे.बी.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 74/61 के पत्थर नं. 193/64 (80) के किला नं. 1 से 5/1.265 है0, 7 से 11/1.265 है0 = 2.530 है0 व पत्थर नं. 213/40 (85) के किला नं. 2 से 9/2.024 है0, 13 से 20/2.024 है0, 21/2 में 0.228 है0, 22/2 में 0.228 है0, 23/2 में 0.228 है0, 24/2 में 0.228 है0, 25/2 में 0.228 है0 = 5.188 है0, कुल 7.718 है0 अनकमाण्ड भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण सं. 5/1 से 5/3 की माता/सास मिन्दोबाई के नाम 643/3859 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/5 के पिता कश्मीरसिंह के नाम 1287/7718 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 कौराबाई के नाम 21/3859 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 बलवीरसिंह (लावल्द फौत) के नाम 1287/7718 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 4/1 से 4/3 की माता मायाबाई के नाम 643/3859 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 6 सन्दीपसिंह के नाम 1265/3859 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी की माता मिन्दोबाई का स्वर्गवास हो जाने के कारण उक्त भूमि में से उनके नाम अंकित भूमि में वादी का बतौर वारिस 1/4 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी सं. 3 बलवीरसिंह पुत्र सरदारसिंह लावल्द फौत हो चुके हैं, इसलिए प्रतिवादी सं. 3 के प्रथम श्रेणी के वारिस उसके भाई कश्मीरसिंह व बहिनें कौराबाई, मायाबाई, मिन्दोबाई ही है। वादी अपनी 1/4 हिस्सा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। रकबा संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण रकम आदि जमा करवाने, बैंक ऋण लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वादी ने प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर खाता विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया तो साफ इन्कार हो गये, इसलिए वादी ने वाके चक 2 जे.बी.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.29 18:56:20 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

2076 के खाता सं. 74/61 के पत्थर नं. 193/64 (80) के किला नं. 1 से 5/1.265 है0, 7 से 11/1.265 है0 = 2.530 है0 व पत्थर नं. 213/40 (85) के किला नं. 2 से 9/2.024 है0, 13 से 20/2.024 है0, 21/2 में 0.228 है0, 22/2 में 0.228 है0, 23/2 में 0.228 है0, 24/2 में 0.228 है0, 25/2 में 0.228 है0 = 5.188 है0, कुल 7.718 है0 अनकमाण्ड भूमि में से वादी को 1/4 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किये जाने व प्रतिवादी सं. 3 के नाम अंकित 1287/7718 हिस्सा भूमि को प्रतिवादी सं. 3 के नाम से कलमजन कर भाई कश्मीरसिंह व बहिनों कौराबाई, मायाबाई, मिन्दोबाई प्रत्येक के नाम 1/4–1/4 हिस्सा में जोड़ते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम हिस्सानुसार दर्ज किये जाने तथा भूमि का अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर, रास्ता व खाला की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव लेकर खाता विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये साधारण व पंजीकृत सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/5, 2, 4/2, 4/3, 5/1/1, 5/2 व 5/3 ने जरिये अभिभाषक जवाब दावा प्रस्तुत किया व वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जैरवाद भूमि वाके चक 2 जे.बी.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 74/61 के पत्थर नं. 193/64 (80) के किला नं. 1 से 5/1.265 है0, 7 से 11/1.265 है0 = 2.530 है0 व पत्थर नं. 213/40 (85) के किला नं. 2 से 9/2.024 है0, 13 से 20/2.024 है0, 21/2 में 0.228 है0, 22/2 में 0.228 है0, 23/2 में 0.228 है0, 24/2 में 0.228 है0, 25/2 में 0.228 है0 = 5.188 है0, कुल 7.718 है0 अनकमाण्ड भूमि में से प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/5 का 1287/7718, प्रतिवादी सं. 2 का 21/3859, प्रतिवादीगण सं. 4/1 से 4/3 का 643/3859, प्रतिवादीगण सं. 5/1 से 5/3 का 643/3859, प्रतिवादी सं. 6 का 1265/3859 व प्रतिवादी सं. 3 की 1287/7718 हिस्सा [illegible] प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/5 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 [illegible] 1 [illegible] हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 4/1 से 4/3 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण [illegible] 5/1 से 5/3 को 1/4 हिस्सा घोषित किया जाकर हिस्सानुसार खाता वि[illegible]जन किये

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.29 18:56:20 IST
Reason: SelfAttested

जाने का निवेदन किया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी सं. 6 के विरुद्ध दिनांक 09.10.2023 को व तलबी सम्मन दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित करवाये जाने के पश्चात् भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी सं. 4/1 के विरुद्ध दिनांक 07.02.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। बाद आने जवाब साक्ष्य लिये गये। वादी ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिरह वकील प्रतिवादी शून्य रही। वादी द्वारा और साक्ष्य नहीं करवाने पर साक्ष्य वादी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी भी नहीं करवाना चाहते, इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये। बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद को बहस बताया। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/5, 2, 4/2, 4/3, 5/1/1, 5/2 व 5/3 ने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जैरवाद भूमि वाके चक 2 जे.बी.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 74/61 में अंकित कुल 7.718 है0 अनकमाण्ड भूमि में से अंकित काश्तकार प्रतिवादीगण सं. 1, 4 व 5 के फौत हो जाने पर उनके नाम अंकित भूमि का वाद शीर्ष में अंकित उनके वारिसान को खातेदार कृषक घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी सं. 3 बलवीरसिंह पुत्र सरदारसिंह के लावल्द फौत जाने के कारण उसके नाम अंकित 1287/7718 हिस्सा भूमि का बतौर वारिस प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/5 को 1/4 हिस्सा ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 4/1 से 4/3 को 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. एवं वादी व प्रतिवादीगण सं. 5/1/1, 5/2, 5/3 को 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार कृषक घोषित कर हिस्सानुसार खाता विभाजन किये जाने की प्रार्थना की। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

बहस श्रवण के पश्चात् बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने जैरवाद भूमि चक 2 जे.बी.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 74/61 में अंकित कुल 7.718 है0 अनकमाण्ड भूमि में से अपनी माता मिन्दोबाई पुत्री सरदारसिंह के नाम अंकित [illegible] वादी स्वयं को 1/4 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित करवाना चाहा है। प्रतिवादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.29 18:56:20 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

और जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया गया है तथा वादी व प्रतिवादीगण ने अपने दावा एवं जवाब दावा, तथा बहस में यह भी कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 3 बलवीरसिंह के लावल्द फौत हो चुका है, इसलिए उसके प्रथम श्रेणी के वारिस उसके भाई कश्मीरसिंह व बहिनें कौराबाई, मायाबाई, मिन्दोबाई यानि प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 4 व 5 होने के कारण प्रतिवादी सं. 3 के नाम अंकित 1287/7718 हिस्सा भूमि का बतौर वारिस प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/5 को 1/4 हिस्सा ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 4/1 से 4/3 को 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. एवं वादी व प्रतिवादीगण सं. 5/1/1, 5/2, 5/3 को 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार कृषक घोषित कर हिस्सानुसार खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया है। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी सं. 6 व 4/1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। शेष पक्षकारान द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज या दावा–जवाबदावा में अंकित कथनों के सम्बन्ध में कोई विपरीत कथन नहीं किया गया। न्याय की मंशा है कि पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद का निपटारा शीघ्र हो ताकि पक्षकारान का अनावश्यक धन व समय बर्बाद न हो, इसलिए वाद वादी व जवाबदावा प्रतिवादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी व जवाबदावा प्रतिवादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर जैरवाद भूमि वाके चक 2 जे.बी.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 74/61 में अंकित कुल 7.718 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से मिन्दोबाई पुत्री सरदारसिंह जाति रायसिख सा. सूरेवाला के नाम अंकित 643/3859 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण सं. 5/1/1, 5/2 व 5/3 को बहिस्सा बराबर, कश्मीरसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति रायसिख सा. सूरेवाला के नाम अंकित 1287/7718 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/5 को बहिस्सा बराबर, मायाबाई पुत्री सरदारसिंह जाति रायसिख सा. सूरेवाला के नाम अंकित 643/3859 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण सं. 4/1 से 4/3 को बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी सं. 3 बलवीरसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति रायसिख सा. सूरेवाला के नाम अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.29 18:56:20 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1287/7718 हिस्सा भूमि में बतौर वारिस वादी व प्रतिवादीगण सं. 5/1/1, 5/2 व 5/3 को 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/5 को 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 4/1 से 4/3 को 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को वाके चक 2 जे.बी.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 74/61 के पत्थर नं. 193/64 (80) के किला नं. 1 से 5/1.265 है0, 7 से 11/1.265 है0 = 2.530 है0 व पत्थर नं. 213/40 (85) के किला नं. 2 से 9/2.024 है0, 13 से 20/2.024 है0, 21/2 में 0.228 है0, 22/2 में 0.228 है0, 23/2 में 0.228 है0, 24/2 में 0.228 है0, 25/2 में 0.228 है0 = 5.188 है0, कुल 7.718 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से मिन्दोबाई पुत्री सरदारसिंह जाति रायसिख सा. सूरेवाला के नाम अंकित 643/3859 हिस्सा भूमि मिन्दोबाई के नाम से कलमजन कर पालसिंह पुत्र मिन्दोबाई पुत्री सरदारसिंह पत्नी बख्तावरसिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला हाल मलोट तहसील मलोट जिला फाजिल्का (पंजाब), छिन्द्रपालकौर पत्नी करतारसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. ..... टिब्बा कॉलोनी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़, पूर्णसिंह पुत्र मिन्दोबाई, दीपोबाई पुत्री मिन्दोबाई अकवाम रायसिख निवासीयान 1 आर.बी.एम. तहसील श्रीविजयनगर के नाम बहिस्सा बराबर एवं कश्मीरसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति रायसिख सा. सूरेवाला के नाम अंकित 1287/7718 हिस्सा भूमि कश्मीरसिंह के नाम से कलमजन कर मलकीतकौर पत्नी कश्मीरसिंह, मखनसिंह पुत्र कश्मीरसिंह, प्रेमसिंह पुत्र कश्मीरसिंह, सिलो पुत्री कश्मीरसिंह, जयमलसिंह पुत्र कश्मीरसिंह अकवाम रायसिख निवासीयान वार्ड नं. 22, पंचायत समिति के पास, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.) के नाम बहिस्सा बराबर एवं मायाबाई पुत्री सरदारसिंह जाति रायसिख सा. सूरेवाला के नाम अंकित 643/3859 हिस्सा भूमि [illegible]बाई के नाम से कलमजन कर गुरदीपसिंह पुत्र माया[illegible] [illegible]वीरसिंह पुत्र मायाबाई पत्नी जंगीरसिंह, ओमप्रकाश पुत्र मायाबाई पत्नी [illegible]गीरसिंह अकवाम रायसिख निवासीयान मलोट तहसील मलोट के नाम बहिस्[illegible] बराबर तथा

क्रमशः ..... पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.29 18:56:20 IST
Reason: SelfAttested

बलवीरसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति रायसिख सा. सूरेवाला के नाम अंकित 1287/7718 हिस्सा भूमि बलवीरसिंह के नाम से कलमजन कर पालसिंह पुत्र मिन्दोबाई पुत्री सरदारसिंह पत्नी बख्तावरसिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला हाल मलोट तहसील मलोट जिला फाजिल्का (पंजाब), छिन्द्रपालकौर पत्नी करतारसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. ..... टिब्बा कॉलोनी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़, पूर्णसिंह पुत्र मिन्दोबाई, दीपोबाई पुत्री मिन्दोबाई अकवाम रायसिख निवासीयान 1 आर.बी.एम. तहसील श्रीविजयनगर के नाम 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर, मलकीतकौर पत्नी कश्मीरसिंह, मखनसिंह पुत्र कश्मीरसिंह, प्रेमसिंह पुत्र कश्मीरसिंह, सिलो पुत्री कश्मीरसिंह, जयमलसिंह पुत्र कश्मीरसिंह अकवाम रायसिख निवासीयान वार्ड नं. 22, पंचायत समिति के पास, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.) के नाम 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर, कौराबाई पुत्री सरदारसिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.) के नाम 1/4 हिस्सा व गुरदीपसिंह पुत्र मायाबाई पत्नी जंगीरसिंह, सरजीतसिंह पुत्र मायाबाई पत्नी जंगीरसिंह, ओमप्रकाश पुत्र मायाबाई पत्नी जंगीरसिंह अकवाम रायसिख निवासीयान मलोट तहसील मलोट के नाम 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.29 18:56:20 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – सीता शर्मा, आर.ए.एस.

अनवान :–

पालसिंह पुत्र मिन्दोबाई पुत्री सरदारसिंह पत्नी बख्तावरसिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला हाल मलोट तहसील मलोट जिला फाजिल्का (पंजाब) –वादी

बनाम

1. कश्मीरसिंह पुत्र सरदारसिंह (फौत) जरिये वारिसान :–
   1/1. मलकीत कौर पत्नी कश्मीरसिंह
   1/2. मखनसिंह पुत्र कश्मीरसिंह
   1/3. प्रेमसिंह पुत्र कश्मीरसिंह
   1/4. सिलो पुत्री कश्मीरसिंह
   1/5. जयमलसिंह पुत्र कश्मीरसिंह
   } अकवाम रायसिख निवासीयान वार्ड नं. 22 पंचायत समिति के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. कौराबाई पुत्री सरदारसिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. बलवीरसिंह पुत्र सरदारसिंह (लावल्द फौत)
4. मायाबाई पुत्री सरदारसिंह पत्नी जंगीरसिंह (फौत) जरिये वारिसान :–
   4/1. गुरदीपसिंह पुत्र मायाबाई पत्नी जंगीरसिंह
   4/2. सरजीतसिंह पुत्र मायाबाई पत्नी जंगीरसिंह
   4/3. ओमप्रकाश पुत्र मायाबाई पत्नी जंगीरसिंह
   } अकवाम रायसिख निवासीयान मलोट तहसील मलोट
5. मिन्दोबाई पुत्री सरदारसिंह पत्नी बख्तावरसिंह (फौत) जरिये वारिसान :–
   5/1. करतारसिंह पुत्र मिन्दोबाई (फौत) जरिये वारिस :–
      5/1/1. छिन्द्रपाल कौर पत्नी करतारसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. ..., टिब्बा कॉलोनी, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
   5/2. पूर्णसिंह पुत्र मिन्दोबाई
   5/3. दीपोबाई पुत्री मिन्दोबाई
   } अकवाम रायसिख निवासीयान 1 आर.बी.एम. तहसील श्रीविजयनगर
6. सन्दीपसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी जैसाभट्टी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ भूमिधारी

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 53, 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 336 वर्ष 2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री राम प्रताप तिवाड़ी एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/5, 2, 4/2, 4/3, 5/1/1, 5/2 व 5/3 श्री कमल शर्मा तथा पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी व जवाबदावा प्रतिवादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर जैरवाद भूमि वाके चक 2 जे.बी.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 74/61 में अंकित कुल 7.718 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से मिन्दोबाई पुत्री सरदारसिंह जाति रायसिख सा. सूरेवाला के नाम अंकित 643/3859 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण सं. 5/1/1, 5/2 व 5/3 को बहिस्सा बराबर, कश्मीरसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति रायसिख सा. सूरेवाला के नाम अंकित 1287/7718 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/5 को बहिस्सा बराबर, मायाबाई पुत्री सरदारसिंह जाति रायसिख सा. सूरेवाला के नाम अंकित 643/3859 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण सं. 4/1 से 4/3 को बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी सं. 3 बलवीरसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति रायसिख सा. सूरेवाला के नाम अंकित 1287/7718 हिस्सा भूमि में बतौर वारिस वादी व प्रतिवादीगण सं. 5/1/1, 5/2 व 5/3 को 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/5 को 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 4/1 से 4/3 को 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं घोषणा के

क्रमशः ..... पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.29 18:36:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(डिक्री 336/2022 पालसिंह बनाम कश्मीर सिंह व अन्य)

फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को वाके चक 2 जे.बी.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 74/61 के पत्थर नं. 193/64 (80) के किला नं. 1 से 5/1.265 है0, 7 से 11/1.265 है0 = 2.530 है0 व पत्थर नं. 213/40 (85) के किला नं. 2 से 9/2.024 है0, 13 से 20/2.024 है0, 21/2 में 0.228 है0, 22/2 में 0.228 है0, 23/2 में 0.228 है0, 24/2 में 0.228 है0, 25/2 में 0.228 है0 = 5.188 है0, कुल 7.718 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से मिन्दोबाई पुत्री सरदारसिंह जाति रायसिख सा. सूरेवाला के नाम अंकित 643/3859 हिस्सा भूमि मिन्दोबाई के नाम से कलमजन कर पालसिंह पुत्र मिन्दोबाई पुत्री सरदारसिंह पत्नी बख्तावरसिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला हाल मलोट तहसील मलोट जिला फाजिल्का (पंजाब), छिन्द्रपालकौर पत्नी करतारसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. ..... टिब्बा कॉलोनी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़, पूर्णसिंह पुत्र मिन्दोबाई, दीपोबाई पुत्री मिन्दोबाई अकवाम रायसिख निवासीयान 1 आर.बी.एम. तहसील श्रीविजयनगर के नाम बहिस्सा बराबर एवं कश्मीरसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति रायसिख सा. सूरेवाला के नाम अंकित 1287/7718 हिस्सा भूमि कश्मीरसिंह के नाम से कलमजन कर मलकीतकौर पत्नी कश्मीरसिंह, मखनसिंह पुत्र कश्मीरसिंह, प्रेमसिंह पुत्र कश्मीरसिंह, सिलो पुत्री कश्मीरसिंह, जयमलसिंह पुत्र कश्मीरसिंह अकवाम रायसिख निवासीयान वार्ड नं. 22, पंचायत समिति के पास, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.) के नाम बहिस्सा बराबर एवं मायाबाई पुत्री सरदारसिंह जाति रायसिख सा. सूरेवाला के नाम अंकित 643/3859 हिस्सा भूमि मायाबाई के नाम से कलमजन कर गुरदीपसिंह पुत्र मायाबाई पत्नी जंगीरसिंह, सरजीतसिंह पुत्र मायाबाई पत्नी जंगीरसिंह, ओमप्रकाश पुत्र मायाबाई पत्नी जंगीरसिंह अकवाम रायसिख निवासीयान मलोट तहसील मलोट के नाम बहिस्सा बराबर तथा बलवीरसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति रायसिख सा. सूरेवाला के नाम अंकित 1287/7718 हिस्सा भूमि बलवीरसिंह के नाम से कलमजन कर पालसिंह पुत्र मिन्दोबाई पुत्री सरदारसिंह पत्नी बख्तावरसिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला हाल मलोट तहसील मलोट जिला फाजिल्का (पंजाब), छिन्द्रपालकौर पत्नी करतारसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. ..... टिब्बा कॉलोनी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़, पूर्णसिंह पुत्र मिन्दोबाई, दीपोबाई पुत्री मिन्दोबाई अकवाम रायसिख निवासीयान 1 आर.बी.एम. तहसील श्रीविजयनगर के नाम 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर, मलकीतकौर पत्नी कश्मीरसिंह, मखनसिंह पुत्र कश्मीरसिंह, प्रेमसिंह पुत्र कश्मीरसिंह, सिलो पुत्री कश्मीरसिंह, जयमलसिंह पुत्र कश्मीरसिंह अकवाम रायसिख निवासीयान वार्ड नं. 22, पंचायत समिति के पास, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.) के नाम 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर, कौराबाई पुत्री सरदारसिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.) के नाम 1/4 हिस्सा व गुरदीपसिंह पुत्र मायाबाई पत्नी जंगीरसिंह, सरजीतसिंह पुत्र मायाबाई पत्नी जंगीरसिंह, ओमप्रकाश पुत्र मायाबाई पत्नी जंगीरसिंह अकवाम रायसिख निवासीयान मलोट तहसील मलोट के नाम 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.29 18:56:20 IST
Reason: SelfAttested

नोज ....×......... मुबलिंग ....×......... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×.............. फसदी ... की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक ......2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)